[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 24/2019- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, 11 मई, 2019

सा.का.नि.... (अ) आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात्त इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है), के नियम 61 के उप नियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2019- केन्द्रीय कर, तारीख 7 मार्च, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 195(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के, प्रथम पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"परंतु यह कि, अप्रैल, 2019 मास के लिए उक्त नियम के **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनके कारबार का मूल स्थान ओडिशा राज्य में अनुगुल, बालेश्वर, भद्रक, कटक, ढेन्कानाल, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, मयूरभंज, नयागड़ और पुरी जिले में है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 20 जून, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी । "।

[फा.सं. 20/06/17/2018 - जीएसटी]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 13/2019, तारीख 7 मार्च, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. संख्यांक 195(अ), तारीख 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।